न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 73/2025 G.C.M.S. No. 2025/290 दर्ज दिनांक : 03.06.2025

अपीलार्थी:

1. दरगाराम पुत्र श्री हीरराम उम्र बालिग,
2. पकाराम पुत्र श्री हीरराम उम्र बालिग,
3. छोगी बाई पत्नी स्व. जोधाराम उम्र बालिग,
4. चम्पा पुत्री स्व. जोधाराम उम्र बालिग,
5. सोहनलाल पुत्र स्व. जोधाराम उम्र बालिग,
6. हरीश कुमार पुत्र स्व. जोधाराम उम्र बालिग, तमाम जातिगण सिरवी निवासीगण बेरा तालुडी, बाली तहसील बाली
7. स्व. सवाराम पुत्र स्व. जोधाराम के कायम मुकाम वारिसानः–

   7/1 पवनी पत्नी स्व. सवाराम उम्र बालिग,

   7/2 आदित्य पुत्र स्व. सवाराम उम्र नाबालिग,

   7/3 सोनाली पुत्री स्व. सवाराम उम्र नाबालिग,

   7/4 साक्षी पुत्री स्व. सवाराम उम्र नाबालिग, अपीलाण्ट संख्या 7/2, 7/3 व 7/4 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संराक माता पवनी पत्नी स्व. सवाराम जाति सिरवी निवासी बेरा तालुडी, बाली तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नैनाराम पुत्र भैराराम,
2. सुजाराम पुत्र भैराराम,
3. स्व. जीवाराम पुत्र भैराराम के कायम मुकाम वारिसानः–

   3/1 मांगीलाल पुत्र स्व. जीवाराम,

   3/2 पाबु पुत्री स्व. जीवाराम,

   3/3 मगी उर्फ मगनी पुत्री स्व. जीवाराम,

   3/4 कन्या पत्नी स्व. जीवाराम तमाम जातिगण सिरवी निवासी बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली।
4. सोहनलाल पुत्र गजाराम,
5. गजाराम पुत्र लादाराम
   जातिगण जणवा सिरवी निवासीगण बोया तहसील बाली व जिला पाली।
6. छगन कंवर पत्नी सुंदरसिंह जाति राजपुत निवासी बिराली जिला सिरोही।
7. विमला पत्नी अरूण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द तहसील बाली जिला पाली।
8. चन्द्रसिंह पुत्र कानाराम जाति जणवा चौधरी निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली।
9. नवाराम पुत्र भुराराम जाति जणवा चौधरी निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली।।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 138/2025 जीसीएमएस नं. 2025/138 बअनवान नैनाराम वगैरह बनाम दरगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2025

पैरोकार:–

1. श्री हरीराम नेहरा, श्री संदीप नेहरा, श्री महेन्द्र मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

दिनांक: 31.12.2025

निर्णय

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 138/2025 जीसीएमएस नं. 2025/138 बअनवान नैनाराम वगैरह बनाम दरगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2025 के प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बाली तहसील बाली में खसरा नम्बर 2452 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2455 रकबा 1.68 हैक्टेयर कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का 1/2 हिस्सा की संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, वाद के साथ नजरी नक्शें अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में रखी भूमि का विभाजन की डिक्री हेतु वाद पेश किया। उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 8 की ओर से 3 जवाबदावा पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिवाद (काउन्टर क्लेम) स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था एवं निवेदन किया गया था कि वादीगण की भूमि मुख्य सड़क पर नही है तथा जवाबदावा के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी भूमि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के कब्जे काश्त की होना बताई गयी एवं उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ने तत्कालीन खातेदार लच्छी से उसके 1/6 हिस्से की, बाली से सेवाडी जाने वाली मुख्य सड़क पर होना एवं बैचाणनामा द्वारा कब्जा सुपुर्द किया जाना वर्णित किया गया था। उक्त वाद विवाद्यक बिन्दु विरचित कर, वादी नैनाराम के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादी दरगाराम व पकाराम के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के द्वारा बहुत अवसर देने के बाद भी अपनी साक्ष्य पेश नही की गयी। उभयपक्षों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की बहस सुनकर, दिनांक 21.05.2024 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर, तहसील बाली व पटवारी हल्का बाली को पालनार्थ भिजवायी गयी, जिसके तहत तहसीलदार पटवारी बाली द्वारा दिनाँक 30.05.2024 को मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) सभी पक्षों को सूचना देकर, उनकी मौजूदगी में तैयार की गयी। जिसकी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी में पेश की गयी, जो न्यायालय हाजा में अपील अन्तर्गत धारा 223 अधिनियम में अपील संख्या 33/2024 छगन कंवर वगैरा बनाम नैनाराम वगैरा दर्ज की जाकर, दिनाँक 14.02.2025 को निर्णय पारित कर, उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की अपील को आंशिक स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण आंशिक संशोधन करने हेतु अभिलिखित सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को अभिलेखीय हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाड़ा किया जाना का निर्देश व आदेश पारित किया गया था एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री के पालनार्थ राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं मण्डल द्वारा निर्देशों की पालना करते हुए, मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर, प्राप्त कर प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करने एवं पक्षकारों को दिनाँक 12.03.2025 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्णय पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाली को अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2025 की अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का हिस्सा पृथक करते हुए, विभाजन रिपोर्ट प्रकरण में दिनांक 15.04.2025 को पेश करने का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के अधिवक्ता द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु निवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2025 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। उक्त निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध एवं प्रताड़ित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों एवं दस्तावेजों पर बिना गौर बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। अतः अपील अपीलाण्ट मंजूर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की मौजूगी में दुबारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 05 ने वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलाण्ट व दीगर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2025 द्वारा वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत् अंतिम डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मंजूर कर प्रकरण में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त कर प्रकरण में उभयपक्षकारान् की मौजूदगी में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णित करने के लिए प्रकरण रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा इस बाबत् आदेशिका पर भी हस्तारित किये। अतः विद्वान अभिवक्तागण उभयपक्षकारान् की सहमति से अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी उभयपक्षकारान् की सहमति से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 138/2025 जीसीएमएस नं. 2025/138 बअनवान नैनाराम वगैरह बनाम दरगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से उभयपक्षकारान् को सूचित करवाते हुए तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर, प्राप्त कर उभयपक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व अंतिम डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, बाली में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली